अंचल कार्यालय कोडरमा

विविध वाद सं० ......47......./2016–17

श्री ओम प्रकाश वर्मा,
पिता– मन्नालाल सोनी,
सा०– झुमरी तिलैया

26/8/16 श्री ओम प्रकाश वर्मा, पिता– मन्नालाल सोनी, सकिन– झुमरी तिलैया के द्वारा आवेदन दिया गया है कि "मौजा– झोलपो में मेरी माँ के नाम से एक जमीन है जो खाता सं०– 21/41, रकबा– 30 डी० एवं खाता सं० 05, रकबा– 48 डी० है। इसमें खाता सं०– 21/41 गैर मजरूआ है और खाता नं०– 05, रैयती जमीन है। उक्त जमीन परती है और मेरे दखल–कब्जा में है और खेती कर रहे हैं। किसी कारणवश रसीद कटनी बंद हो गई है।" श्री वर्मा के द्वारा रैयती खाते की भूमि का सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल निरीक्षक के माध्यम से राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि "मौजा– झलपो, थाना नं०– 01 के खाता सं०– 05, प्लॉट नं०– 32, रकबा– 0.32 ए०; प्लॉट नं०– 33, रकबा– 0.16 ए० एवं प्लॉट नं०– 34/708, रकबा– 0.30 डी. कुल रकबा– 0.78 डी० पुरना देवी, पति– मन्नालाल के नाम से केवाला सं०– 10912 दिनांक 16.12.1965 से जमीन खरीद किया गया है।

हल्का मुख्यालय मे उपलब्ध वर्तमान पंजी II के पृष्ट सं०– 113 वॉल्यूम 2 में ग्राम झलपो थाना नं० 01 के खाता सं० 05 प्लॉट नं० 32 रकबा 0.32 ए०; प्लॉट नं० 33, रकबा 0.16 ए० एवं खाता सं० **21/41,** प्लॉट नं० 34/708, रकबा 0.30 ए०, कुल रकबा 0.78 ए० बिक्रि के पश्चात वर्तमान कुल रकबा– 32.04 डी०, माल 1.85 रू० का जमाबंदी श्रीमती पुरना देवी, पति मन्नालाल सोनी के नाम से दर्ज है। रसीद वर्ष 2007–08 तक निर्गत है। **खाता नं० 05 रैयती खाता है।** खाता नं० 21/41 गैर मजरूआ खास खाता है प्राधिकार कॉलम दाखिल–खारिज वाद सं० 398/81 द्वारा स्वीकृत है।

उपायुक्त महोदय कोडरमा के ज्ञापांक 2620 दिनांक 29.09.2011 के आदेशानुसार गैर मजरूआ भूमि पर रसीद निर्गत करने पर रोक लगायी गई है। मौजा– झलपो थाना नं० 1 के खाता नं० 21/41 प्लॉट नं० 34/708 का गैर मजरूआ भूमि का रसीद निर्गत नहीं किया जा सकता है एवं खाता सं० 05 प्लॉट नं० 32 एवं 33 जो रैयती खाते की भूमि है, का रसीद अंचल अमीन से नापी कराने के पश्चात शेष भूमि का रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जा सकता है।"

आवेदक को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग करें।
अभिलेख दिनांक 15.09.2016 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 26/8/16

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner

08/10/2016

अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। स्थल जाँच एवं मापी के उपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि "मौजा– झलपो के अन्तर्गत खाता नं0 05, प्लॉट नं0– 32, रकबा– 10.53 डी0 वो प्लॉट नं0– 33, रकबा– 2.53 डी0 कुल रकबा– 13.06 डी0 भूमि का मिलान सर्वे नक्षा के अधार पर किया, जिसमें पाया कि संबंधित भूमि परती है, जिस पर आवेदक द्वारा अपना दखल–कब्जा है। स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। आवेदक द्वारा दखल–कब्जे से संबंधित लेख्य प्रमाणक कोडरमा द्वारा शपथ पत्र नं0 35 दिनांक 04.08.2016 में, अपने दखल–कब्जे एवं खरीद–बिक्री या बंधक नहीं किये जाने से संबंधित विवरणी वर्णित किए हैं तथा इनके द्वारा शपथ पूर्वक विवरण किया गया है कि उक्त प्लॉटों से संबंधित विवरणी गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेवारी आवेदक स्वयं होंगे।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन के गहन अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि मौजा– झलपो के अन्तर्गत खाता सं0 05, प्लॉट नं0 32 में 10.53 डी0 रकबा एवं प्लॉट नं0 33 में 2.53 डी0 रकबा भूमि शेष है। साथ ही आवेदक का दखल–कब्जा खाता सं0 5 के प्लॉट नं0 32 एवं 33 में है।

अतः पूर्व में रैयती खाता 05 एवं गैर मजरूआ खाता सं0 21/41 के निर्गत हो रहे मिश्रित लगान रसीद में गैर मजरूआ खास खाता 21/41 को हटा कर सिर्फ रैयती खाता सं0 05 के प्लॉट नं0– 32, रकबा– 10.52 डी0 एवं प्लॉट नं0– 33, रकबा– 2.53 डी0 में वर्तमान दखल–कब्जे वाले कुल 13.06 डी0, मालगुजारी– 0.35 रू0 का लगान रसीद निर्गत करें।

वाद में कार्रवाई बंद की जाती है।

(हस्ताक्षर) 08/10/16

अंचल पदधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner